



**OFFICE OF DEPUTY CONSERVATOR OF FORESTS,
PALAMPUR FOREST DIVISION, PALAMPUR, HP 176061**
Phone 01894-232630, Fax No.01894-232762 e-mail-dfop1php@gmail.com

No.FCA/ 514/CF / Dated Palampur, the/ 25-10-2025

From: D.C.F. Palampur.

To: C.F. (T) Dharamshala

Subject:- Diversion of 0.9925 ha. of forest land in favour of HP Tourism and Civil Aviation Department for Development of site for paragliding at Billing within the jurisdiction of Palampur Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh. (Online proposal no. FP/HP/others/14799/2015)- regarding. – Compliance Report thereof.

Sir,

Please refer to the Govt. of India, Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh) Ministry of Environment Forest & Climate Change, CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla - 171001 letter No. 8B/HP/09/90/2017 dated 22.01.2025 on the subject cited above where in the "Stage I Approval" for diversion of 0.9925 ha. of Forest Land has been accorded. In this regards, it is intimated that the amount of NPV and CA stands deposited in respective heads. The detail of same along with point wise reply of conditions of 'in-Principal' approval is as under:-

Sr. No.	Terms of in-principle Approval	Acknowledgement by User Agency / Reply
A-I	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) Rs. 6,50,508/- (Cost of CA) & Rs. 32,525/- (5% Contingency) जमा कर दी गई है।
A-II	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशो की अनुपालना सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
A-III	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 0.9925 हेक्टेयर की नैट प्रजेंट वैल्यु जमा करवाई जाये।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रूपए 9,97,671 /- online portal के माध्यम से दिनांक 18.07.2025 को जमा कर दी गई है।
A-IV	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) Rs. 9,97,671/- . Compensatory Afforestation Rs. 6,50,508/- , Contingency @ 5% on CA Rs. 32,525/- only, Total=(9,97,671 + 6,50,508 + 32,525) = 16,80,704/- online portal के माध्यम से 18 July, 2025 को जमा कर दी गई है।
A-V	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल के माध्यम से (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

A-VI	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) Rs. 9,97,671/- . Compensatory Afforestation Rs. 6,50,508/- , Contingency @ 5% on CA Rs. 32,525/- only, Total=(9,97,671 + 6,50,508 + 32,525) = 16,80,704/- online portal के माध्यम से 18 July, 2025 को जमा कर दी गई है।
A-VII	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
A-VIII	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-I	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-II	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-III	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 2 हे० वन भूमि Block/compartment/Survey No-UP 131 Baggidhar C-6, Baijnath Forest Range, Palampur Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) Rs. 6,50,508/- & Rs. 32,525/- (5% Contingency) जमा कर दी गई है। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अथवा आवश्यक धनराशि उपलब्धता पर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-IV	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, तत्संबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	वन मंडल अधिकारी यह प्रमाणित करते हैं कि प्रस्तावित CA land IFA 1927 के अंतर्गत राज्य वन विभाग के नाम है। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-V	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	राज्य सरकार द्वारा वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml file को अपलोड किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-VI	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-VII	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में निर्धारित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि को जमा किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

B-VIII	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि एवेन्यू वृक्षारोपण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-IX	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-X	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XI	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XII	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XIII	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XIV	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि मजदूरों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XV	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XVI	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित करेगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XVII	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XVIII	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्त करेगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XIX	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

B-XX	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XXI	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि अन्य कोई भी शर्त जो कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जाएगी वो प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होंगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XXII	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा ली जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XXIII	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा इस सन्दर्भ में वचन बद्धता प्रस्तुत की गई है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

It is therefore, requested that the necessary Final Approval for the diversion of 0.9925 ha of forest land for the construction of above mentioned project may kindly be obtained from the Govt. of India under Forest (Conservation) Act, 1980 and conveyed to this office.

Dated : 25-10-2025
Place : Palampur

Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forests
Palampur Forest Division
Palampur

To,

Divisional Forest Officer,
Palampur Forest Division,
Palampur, Distt. Kangra (H.P.)

Subject:-

Diversion of 0.9925 ha. of forest land in favour of HP Tourism and Civil Aviation Department for Development of site for paragliding at Billing within the jurisdiction of Palampur Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh. (Online proposal no. FP/HP/others/14799/2015)- regarding. – Compliance Report thereof.

Sir,

Please refer to the Govt. of India, Sub-Office, Shimla (Regional Office, Chandigarh) Ministry of Environment Forest & Climate Change, CGO Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla - 171001 letter No. 8B/HP/09/90/2017 dated 22.01.2025 on the subject cited above where in the "Stage I Approval" for diversion of 0.9925 ha. of Forest Land has been accorded. In this regards, it is intimated that the amount of NPV and CA stands deposited in respective heads. The detail of same along with point wise reply of conditions of 'in-Principal' approval is as under:-

Sr. No.	Terms of in-principle Approval	Acknowledgement by User Agency / Reply
A-I	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए।	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) Rs. 6,50,508/- (Cost of CA) & Rs. 32,525/- (5% Contingency) जमा कर दी गई है।
A-II	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
A-III	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावित वन भूमि, 0.9925 हेक्टेयर की नेट प्रजेंट वैल्यू जमा करवाई जाये।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-1) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की निर्धारित राशि रूपए 9,97,671 /- online portal के माध्यम से दिनांक 18.07.2025 को जमा कर दी गई है।
A-IV	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूर्क वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) Rs. 9,97,671/- . Compensatory Afforestation Rs. 6,50,508/- , Contingency @ 5% on CA Rs. 32,525/- only, Total=(9,97,671 + 6,50,508 + 32,525) = 16,80,704/- online portal के माध्यम से 18 July, 2025 को जमा कर दी गई है।
A-V	पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट e-portal (https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल के माध्यम से (https://parivesh.nic.in/) पर अपलोड की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

A-VI	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिपूरक शुल्क (सीए लागत, एनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते हैं और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते हैं। अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को S-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड की निर्धारित राशि Net Present Value (NPV) Rs. 9,97,671/- . Compensatory Afforestation Rs. 6,50,508/- , Contingency @ 5% on CA Rs. 32,525/- only, Total=(9,97,671 + 6,50,508 + 32,525) = 16,80,704/- online portal के माध्यम से 18 July, 2025 को जमा कर दी गई है।
A-VII	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए S-1 पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, S-1 अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लिए अभी लंबित नहीं है। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
A-VIII	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-I	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचन बद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि की विधिक स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-II	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्यजीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-III	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार 2 हे० वन भूमि Block/compartments/Survey No-UP 131 Baggidhar C-6, Baijnath Forest Range, Palampur Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण की लागत एवं दस वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशी (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) Rs. 6,50,508/- & Rs. 32,525/- (5% Contingency) जमा कर दी गई है। अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर अथवा आवश्यक धनराशि उपलब्धता पर वृक्षारोपण किया जाएगा। यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-IV	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उससे संबंधित दस्तावेज, अन्यथा, IFA 1927 के अंतर्गत, RF/PF में अधिसूचित करा कर, तत्संबंधित दस्तावेज, विधिवत स्वीकृति के पहले प्रस्तुत किया जाएगा।	वन मंडल अधिकारी यह प्रमाणित करते हैं कि प्रस्तावित CA land IFA 1927 के अंतर्गत राज्य वन विभाग के नाम है। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-V	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी।	राज्य सरकार द्वारा वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौंपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml file को अपलोड किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-VI	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-VII	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढ़ाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भविष्य में निर्धारित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि को जमा किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

B-VIII	एवेन्यू वृक्षारोपण, सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर आईआरसी विनिर्देश के अनुसार उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि एवेन्यू वृक्षारोपण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-IX	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं करेगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-X	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XI	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XII	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XIII	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XIV	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि मजदूरों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XV	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XVI	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिह्नित करेगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XVII	प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि प्रयोक्ता एजेंसी सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/ एनबीडब्ल्यूएल/ एफएसी/ आरईसी की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवरपास उपलब्ध कराएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XVIII	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि भविष्य में लागू होती है तो प्राप्त करेगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XIX	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा। मलबा निस्तारण स्थल पर दर्शाए गये वृक्षों का पतन नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलबा नहीं फेंका जाएगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

B-XX	इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XXI	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जा सकती है।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि अन्य कोई भी शर्त जो कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय - समय पर लगाई जाएगी वो प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होंगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XXII	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम / अनुच्छेद / नियम / न्यायालय आदेश / अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा ली जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।
B-XXIII	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 और वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 में उल्लेखित दिशानिर्देश 1.16 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण यह वचनबद्धता प्रस्तुत करती है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता पत्र के साथ संलग्न है।

This is for your kind information and further necessary action.

Yours faithfully,



Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
District Kangra (H.P)

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – A I

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

It is hereby submitted that the Cost of Compensatory Afforestation amounting to Rs. 6,50,508/- and 5% Contingency Rs. 32,525/-, has been deposited in the CAMPA Account.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – A II

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby undertake to abide by the decision of Honb'le Supreme Court of India in WP (C) No. 202/1995 dated 08.02.2023.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – A III

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

It is hereby submitted that the cost of Net Present Value (NPV) amounting to Rs. 9,97,671/- has been deposited in the CAMPA Account.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025



Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :



Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – A IV

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)


It is hereby submitted that cost of Net Present Value (NPV) Rs. 9,97,671/-, cost of Compensatory Afforestation (CA) Rs. 6,50,508/-, Contingency @ 5% on CA Rs. 32,525/-, Total $= (9,97,671 + 6,50,508 + 32,525) = 16,80,704/-$ has been deposited in CAMPA Account through online portal on 18.07.2025.

Place : Dharamshala

Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Santeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – A V

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake to upload the Compliance Report of Stage I Approval on e-Portal (<https://parivesh.nic.in/>).

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025



Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :



Dr. Sandeep Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – A VI

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

It is hereby submitted that cost of Net Present Value (NPV) Rs. 9,97,671/-, cost of Compensatory Afforestation (CA) Rs. 6,50,508/-, Contingency @ 5% on CA Rs. 32,525/-, Total $= (9,97,671 + 6,50,508 + 32,525) = 16,80,704/-$ has been deposited in CAMPA Account through online portal on 18.07.2025.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025



Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :



Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – A VII

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)


“It is hereby submitted that no proposal under this division is pending for submission of compliance report of Stage I Approval”

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025



Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :



Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – A VIII

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that we will abide by the conditions of the FRA, 2006 as per Certificate issued by the District Collector.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B I

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

It is hereby submitted that the legal status of the forest land will not be changed.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B II

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby undertake that no felling of trees will be done as per the submitted proposal and no harm / damage will be done to the vegetation and animals in the adjacent / surrounding area.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025



Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :



Dr. Sangeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B III


It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

It is hereby submitted that the Cost of Compensatory Afforestation amounting to Rs. 6,50,508/- and 5% Contingency Rs. 32,525/-, has been deposited in the CAMPA Account. It is submitted that Plantation activities will be done within the period of one year from the date of approval subject to availability of funds. It is further submitted that native species will be planted and monoculture on any species will not be done.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P.)

Countersigned by :



Dr. Sanjay Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B IV

It is hereby undertaken that the CA Area proposed for Carrying out Compensatory Afforestation i.e. Survey/Compartment No. UP31B Baggidhar C-6, Baijnath Forest Range, Palampur Forest Division, Distt. Kangra, Himachal Pradesh CA Area 2 Hac. is forest land under Indian Forest Act, 1927 and is in possession of Forest Department. The revenue record of the CA area is enclosed herewith. It is further submitted that the CA Area will not be changed without the prior approval of the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

Place : Palampur
Date : 25-10-2025


Dr. Sanjay Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

STOCK MAP OF UP. 31. P. BAGIDHAR.

RANGE:
TEH: PALAMPUR.
AREA BY REVENUE RECORD. C₁ = 14.16 HA.
C₂ = 54.62 HA.
C₃ = 24.28 HA.
C₄ = 56.65 HA.
C₅ = 8.90 HA.
C₆ = 58.27 HA.

SCALE 4" = 1 MILE.

216-88



AREA

W.P.O. PALAMPUR

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B V

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

It is hereby submitted that the KML Files of the degraded forest land proposed for Compensatory Afforestation will be uploaded on E-green portal before issuing working permission / handing over the diverted land to the User Agency and is acceptable to us.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025



Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :



Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B VI

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

It is hereby submitted that the forest land will be used for the purpose specified in the proposal and no other activity shall be undertaken on the diverted land.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B VII


It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake to pay the additional amount of NPV, if so determined as per decision of the Hon'ble Supreme Court.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B VIII

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that Plantation will be done on both sides of the road as per IRC Standards at our own cost.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur


**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B IX


It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that the diverted forest land will not be transferred to any other Agency / Department or Person without prior Approval of Central Government.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B X

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that the Layout Plan will not be changed without prior Approval / Permission of Central Government.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XI


It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that no labour camps will be established / installed on forest land.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XII


It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that necessary Soil Conservation methods will be undertaken and the Cost to execute such works as per prevailing rates will be provided by the Department.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XIII


It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

It is hereby submitted that no alternate road will be constructed for carriage of material in the forest land during the execution of the proposal.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Santeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XIV

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that fuelwood from Forest Corporation or any other legal source, especially alternate fuel will be provided to the labour and official staff.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XV


It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that the Department will abide by the Plan prepared by the State Chief Wild Life Conservator for conservation of forest and Wild life of the proposed area and provide the cost for undertaking such activities.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur


**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XVI


It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that RCC Pillars of 4 feet height will be installed at the boundary of diverted forest land under the supervision of Forest Department with Forward / Backward bearing at our own cost.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XVII


It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that Overpass / Underpass will be provided at our own cost as suggested by CWLW / NBWL / FAC / REC in the forest land.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XVIII


It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that approval will be taken as per Provisions of Environment (Protection) Act, 1986, if applicable.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XIX


It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that muck will be disposed-off in planned manner within the diverted land and no muck shall be dumped in the forest land or rolled down the hillside.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XX

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that the total period of diversion will be treated as the period of Diversion as per the proposal submitted online or period of lease in favour of the User Agency, whichever is less and fresh proposal will be submitted to the Central Government after completion of such period.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XXI

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that we will abide by all the conditions imposed by Ministry of Environment, Forest & Climate Change from time to time for the protection and development of Forest and Wildlife.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur

**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XXII

It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that if any provisions of related Act / Article / Rule / Court Order / Instruction are applicable to this proposal, necessary NOC / Permission will be taken by us.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur


**DIVERSION OF 0.9925 HA. OF FOREST LAND FOR DEVELOPMENT OF PARAGLIDING SITE AT
BIR BILLING IN TEHSIL BAIJNATH, DISTRICT KANGRA, HIMACHAL PRADESH,
FILE NO. : FP/HP/Others/14799/2015**

UNDERTAKING AS PER CLAUSE – B XXIII


It is to certify that I, Vinay Dhiman, District Tourism Development Officer, Kangra at Dharamshala, District Kangra, (H. P.) – 176215, have applied for diversion of 0.9925 ha. of forest area for the purpose of Development of Paragliding Site at Bir Billing in Tehsil Baijnath in District Kangra, (H.P.)

I, hereby Undertake that we will abide by all the conditions of the “In-Principle Approval” and no violation of Forest (Conservation) Act, 1980 will be done during the execution of the Project.

Place : Dharamshala
Dated : 24-10-2025


Vinay Dhiman (HAS)
District Tourism Dev. Officer
Kangra at Dharamshala
Dharamshala, District Kangra (H.P)

Countersigned by :


Dr. Sanjeev Sharma (IFS)
Deputy Conservator of Forest
Palampur Forest Division
Palampur